न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

न अधिकारी श्री अंजली राजोरिया (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व वाद संख्या 27/2013

---

1. श्रीमती कुसुमी पत्नी स्व0 श्री मुराद पुत्रवधु स्व0 श्री अहमद
2. श्री इकबाल पुत्र स्व श्री मुराद पौत्र स्व0 श्री अहमद
3. श्रीमती रसीदा पुत्री स्व0 श्री मुराद पौत्री स्व0 श्री अहमद
4. श्रीमती जुबेदा पुत्री स्व0 श्री मुराद पौत्री स्व0 श्री अहमद
5. श्रीमती सीमा पुत्री स्व0 श्री मुराद पौत्री स्व0 श्री अहमद

समस्त जाति चीता निवासीगण ग्राम चौरसियावास तहसील व जिला अजमेर

——वादीगण

बनाम

1. श्री सुखराम पुत्र मुगनाराम
2. श्रीमती शांति देवी पत्नि श्री सुखराम

जति जाट निवासीगण स्टीफन चौराया माकडवाली रोड वैशाली नगर तहसील व जिला अजमेर

3. नगर सुधार न्यास जरीये सचिव

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 188, एवं 209 राज0 कास्त0 अधि01955

में (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

आदेश दिनांक 19.07.2018

वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 188, एवं 209 राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण को पक्षकार मुर्तिब कर प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठीत धारा 151 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी अभिभाषक द्वारा दिनांक 27.06.2013 को प्रति प्राप्त की । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया ।

प्रतिवादीगण के अभिभाषक के द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना में अंकित कथनों दौराते हुए निवेदन किया कि वादीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र खसरा नम्बर 1715 मिन रकबा 1–13–10 एवं खसरा नम्बर 1716 रकबा 1–13–0 की भूमि जो ग्राम चौरसियावास तहसील व जिला अजमेर में स्थित है के सबंध में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थी ने प्रस्तुत किया । वह माननीय न्यायालय में लम्बित है। वाद पत्र में दर्शायी भूमि कि जिसे पंचशील नगर योजना नगर सुधार न्यास अजमेर हेतु न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर सुधार न्यास अजमेर के द्वारा भूमि अवाप्ति प्रकरण के अन्तर्गत नगर सुधार न्यास अजमेर बनाम श्री छोटू पुत्र नीम्बा व अन्य के भूमि अवाप्ति के प्रकरण के अन्तर्गत विवादित भूमियो को अन्य भूमियो के साथ आवाप्त की जाकर अवार्ड आदेश दिनांक 21.8.1993 को ही घोषित किया जा चुका है तथा विवादित भूमि कि जिसे अवाप्त की गई जो कि अवार्ड आदेश के पृष्ठ संख्या 6 के प्रकरण संख्या 204/90 के अनुसार अवाप्त की जाकर अवार्ड आदेश घोषित किया गया एवं मुआवजा घोषित किया जा चुका है इस सन्दर्भ में अवार्ड आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न है इस प्रकार विवादित भूमि जो कि अवाप्त हो चुकी है आबादी भूमि है तथा कृषि भूमि नही है एवं अवाप्त किये जाने के पश्चात अवार्ड आदेश घोषित करने पर विवादित भूमि के सन्दर्भ में इस प्रकार के वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है जबकि विवादित भूमि अवार्ड आदेश के अनुसार जरिये नामान्तकरण संख्या 684 दिनांक 28.1.2013 को ही उक्त वाद पत्र पेश करने से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या तीन नगर सुधार न्यास के नाम वर्तमान जमाबंदी में दर्ज की जा चुकी है इस प्रकार विवादित भूमि जो अवाप्त की जा चुकी है अवार्ड आदेश घोषित किया जा चुका उस स्थिति में विवादित भूमि कृषि भूमि नही है एवं माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी नही है इस कारण वादीगण का वाद पत्र पोषणीय ही नही है एवं माननीय न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में ही नहीं है। प्रतिवादीगण सख्या एक व दो के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में दर्शाये अभिकथन के अनुसार वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही नही है। आवेदन पत्र खर्चे स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र मय खर्चे के सहित निरस्त किया जावे । प्रार्थी अभिभाषक ने आरएलआर 2004 (2) पेज 549 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

एनजे (एससी) 1995 पेज 310 राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1995 पेज 232 आर एल डबलू 2006 (2) पेज 1142 प्रस्तुत किए ।

प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. में जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि विवादित आराजीयात खाता संख्या नये 184 खसरा संख्या 1715 मिन रकबा 1–13–10 एवं 1719 रकबा 1–16–0 बीघा स्थित ग्राम चौरसियावास बाबत केन्दीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 204/90 में अवार्ड जारी किया जा चुका है। जिसे निरस्त करवाये बिना उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से तथा कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने से निरस्त योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात प्रस्तुति वाद नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 684 दिनांक 28.1.2013 के तहत दर्ज हो चुकी थी एवं बरवक्त प्रस्तुति वाद कृषि भूमि नही थी वरन आवासीय पटटे जारी होकर मौके पर भवन एवं सुन्दर सड़के मुर्तिब की जा चुकी है आवासीय कॉलोनी बस चुकी है। जिससे कृषि भूमि के रूप में वाद प्रस्तुति हेतु कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है तथा कृषि भूमि नही होने के कारण माननीय न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार भी निहित नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से तथा वाद कारण के अभाव में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्राथमिक स्तर पर ही मय खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के अभिभाषक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब प्रस्तुत कर जवाब में (जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 26.9.2013) अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त उनवान वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार एवं जिस उदेश्य से उल्लेखित किये गये है दस्तावेजी साक्ष्य एवं वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से अस्वीकार है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अवार्ड दिनांक 21.8.1993 में वादीगण की कृषि भूमि बावत दर्ज प्रकरण संख्या 204/90 से स्वयं प्रतिवादी संख्या 3 के भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रकरण संख्या 204/90 दर्ज किये जाने से पूर्व ही मूल खातेदार श्री मुराद का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके विधिक वारिसान की सुनवाई किये जाने के उपरान्त ही वादीगण को खातेदारी व आधिपत्य की भूमि बाबात विधिवत निर्णय पारित किया जायेगा। इस प्रकार वादीगण की भूमि बाबत ना तो अवाप्ति प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित किया गया तथा ना ही वादीगण को मुआवजा राशि अदा करते हुए भूमि के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य का समर्पण ही कर ही करवाया गया ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध होकर निर्धारित विधिक प्रकिया पूर्ण होने से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के

Scanned by CamScanner

में पारित नियमन आदेश व पटटा विलेख वादीगण के विधिक हक अधिकार व आधिपत्य के विरूद्व निष्प्रभावी है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कथन जिस प्रकार एवं जिस उदेश्य से उल्लेखित किये गये है पूर्णतया दस्तावेजी साक्ष्य एवं वास्तविक तथ्यों के विपरित होकर निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अविधीक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में पारित नियमन आदेश व निष्पादित पटटा विलेख को जवाब में वर्णित तथ्यों के अनुसार जानकारी होने पर वादीगण द्वारा अविलम्ब सक्षम न्यायालय के समक्ष निरस्त किये जाने हेतु विधिक कार्यवाही संपादित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यथित/खातेदार को पूर्णरूपेण उसके सवैधानिक अधिकारो के बाबत सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना केवल मात्र प्राथमिक स्तर पर ही उसके वाद पत्र को निरस्त किया जकार विधिक हक अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है। अतः प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे। जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 24.9.2015 में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि विवादित भूमि के सब्ध में अवार्ड आदेश दिनांक 21.8.1993 को घोषित किया जाकर प्रकरण संख्या 204/1990 में वादीगण के पूर्वाधिकारी का नाम अंकित किया गया है। परन्तु स्वयं अवार्ड आदेश दिनांक 21.8.1993 के प्रकरण संख्या 204/1990 के तहत स्वयं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अवाप्त शुद्वा भूमि के सबंध में किसी प्रकार से कोई मुआवजा राशि वादीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी को अदा करते हुए आधिपत्य प्राप्त किया जाना अंकित व निर्णित नही किया गया है। अतः प्रकरण में दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर तनकियात कायम कर साक्ष्य लिपिबद्व किये जाने के उपरान्त ही विधिक प्रावधानो के तहत प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में आवाप्ति की कार्यवाही विधि सम्मत रूप से पूर्ण किये जाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में भूमि का आवंटन नही किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 के हक में अंकित गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर विधिवत रूप से एक पक्षीय रूप में भूमि का अन्तर्गत धारा 90 बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नियमन करवाया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आधारो पर मय खर्चे निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थी अभिभाषक ने आरआरटी 2016 (2) पेज 1394 प्रस्तुत किये ।

उपखण्ड अधिकारी

उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से इस निष्कर्ष पहुँचे है कि विवादित भूमि प्रस्तुत अर्वाड के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत अवाप्त होकर अर्वाड पारित किया जा चुका है। जिसका खण्डन वादी द्वारा नहीं किया गया है। केवल मात्र यह कथन किया गया कि नियमन पत्रावली में अनियमितता है। जबकि नियमन आदेश के विरूद्व वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील संख्या 4/2014 प्रस्तुत की गई थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8.12.2016 को निरस्त कर दी गई। वादी का कथन है कि हमे मुआवजा नही दिया गया । इस कारण भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण नही हुई है। हम वादीगण अभिभाषक से सहमत नही है। भूमि अवाप्ति अधिनियम अपने आप में पूर्ण अधिनियम है जिसमें सारे प्रावधान दिए हुए है मुआवजे के सबंध में धारा 18 व धारा 31 भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत प्रावधान दिए हुए है जिसके तहत वादी सक्षम न्यायालय में मुआवजे के सबंध में चाराजोही कर सकता है। दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही भूमि अवाप्त होकर सरकार द्वारा नगर सुधार न्यास को आवासीय प्रयोजनार्थ हस्तान्तिरत कर दी गई । भूमि की किस्म कृषि भूमि नहीं होकर अकृषि प्रयोजनार्थ हो चुकी है। राजस्व न्यायालय केवल कृषि भूमि से सबंधित विवाद ही सुन सकता है। भूमि अवाप्ति के पश्चात धारा 63 (3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार के काश्तकारी हक समाप्त होकर सरकार में विलिन हो जाते है एवं धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस प्रकार के वाद प्रतिबधित है। हम प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से सहमत है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. में स्वीकार किया जाकर एवं वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने सें खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

अंजली राजोरिया
उपखण्ड अधि.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner